

570

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2005/PM1/16

New Delhi, dated 20.04.2005

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs.

***Sub:-Guidelines for Personnel Officers and Members of Selection
Boards constituted for conducting selections for promotion to
posts classified as "selection."***

Reference Board's letter No.E(NG)I-98/PM1/17 dt.20.10.1999 forwarding therewith guidelines for Personnel Officers and Members of Selection Boards constituted for conducting selections for promotion to posts classified as 'Selection'.

2. The existing note (5) below para 9.1 of the aforesaid guidelines should be substituted with the following:-

Note 5: "There should be absolutely no cutting, erasing, overwriting etc. of the marks once awarded to answers to multiple-choice objective type of questions. In case of questions requiring narrative type of answers also while there should not be any over-writing, erasing, corrections of marks, if genuinely warranted, may be made by striking the marks originally given and entering the fresh marks duly attesting the correction."

Please acknowledge receipt.


(Ms. Manju)
Dy. Director Estt.(N)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी) I-2005/पी एम 1/16

नई दिल्ली, दिनांक 20.4.2005

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.


विषय : कार्मिक अधिकारियों तथा "चयन" के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति के लिए चयन आयोजित करने के लिए गठित चयन बोर्डों के सदस्यों के लिए दिशा-निर्देश.

बोर्ड का 20.10.1999 का पत्र सं. ई (एन जी) I-98/पी एम 1/17 देखें जिसके साथ कार्मिक अधिकारियों तथा "चयन" के रूप में वर्गीकृत पदों में पदोन्नति के लिए चयन आयोजित करने के लिए गठित चयन बोर्डों के सदस्यों के लिए दिशा-निर्देश भेजे गए हैं.

2. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 9.1 के नीचे मौजूदा नोट (5) को निम्नलिखित से बदला जाए :-

नोट 5 : "बहु विकल्पी वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्नों के उत्तरों के लिए एक बार दिए गए अंकों में किसी भी प्रकार की काट-छाँट नहीं होनी चाहिए, उन्हें मिटाकर नहीं लिखा जाना चाहिए और न ही उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए. यदि प्रश्नों के वर्णनात्मक किस्म के उत्तर अपेक्षित हैं तो उनमें भी अंकों में कोई ऊपरी लेखन नहीं होना चाहिए, उन्हें मिटाकर नहीं लिखा जाना चाहिए और न ही शुद्धि की जानी चाहिए, लेकिन यदि शुद्धि करना वास्तव में अपेक्षित हो जाता है तो मूल रूप से दिए गए अंकों को काट दिया जाए और नए अंक दिए जाएं तथा शुद्धि को विधिवत रूप से सत्यापित किया जाए".

कृपया पावती दें.


(सुश्री मंजु)
उप निदेशक स्था. (अराज)
रेलवे बोर्ड.